

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-०३/निदे०पी०ओ०ए०(आ०यो०)१६-०५/२०१९ १८२७

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
पुलिस महानिदेशक,  
बिहार, पटना।  
सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक- १९/९/२०२०

विषय:- अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ के नियम, १९९५ (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम, १५(१) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शिका के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ के नियम, १९९५ (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम, १५(१) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभागीय संकल्प संख्या-१८२५ दिनांक-१९.०९.२०२० (प्रति संलग्न) द्वारा योजना तैयार की गई है।


२- योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

३- संकल्प एवं मार्गदर्शिका पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-१८.०९.२०२० में मद संख्या-६४ के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।


अतः अनुरोध है कि संकल्प एवं सह-पठित मार्गदर्शिका के आलोक में योजना का कार्यान्वयन करने की कृपा की जाए।

अनु०- यथोक्त।


विश्वासभाजन,

  
१९.९.२०  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05/2019-1827 पटना, दिनांक- 19/9/2020  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19.9.20  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05/2019-1827 पटना, दिनांक- 19/9/2020  
प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19.9.20  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05/2019-1827 पटना, दिनांक- 19/9/2020  
प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त/ पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस उप महानिरीक्षक/ मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19.9.20  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05/2019-1827 पटना, दिनांक- 19/9/2020  
प्रतिलिपि:-सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार/ सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार/सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
19.9.20  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05/2019-1827 पटना, दिनांक- 19/9/2020  
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
19.9.20  
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

19 सितम्बर, 2020

विषय:- अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम, 15 (1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजना।

वर्तमान में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) प्रभावी है।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के अत्याचार (धारा-3 के अनुसार) से पीड़ित व्यक्ति अथवा आश्रित को अत्याचार से राहत प्रदान की जाती है। वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आलोक में दर्ज कांडों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम-12(4) में राहत राशि के लिए निर्धारित मापदण्ड पर मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के द्वारा राहत मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 संशोधन नियम, 2016 के नियम 15(1) में राज्य सरकार को वर्णित उपबंध को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है, जो निम्नवत है:-

“नियम-15(1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कार्यों का एक पैकेज होगा:-

- (क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना,
- (कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम,
- (ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन,
- (ग) पुनर्वास पैकेज,
- (घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को राजगार के लिए स्कीम,

- (ड) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम,  
 (च) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर,  
 (छ) पीड़ित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम,  
 (ज) पीड़ित व्यक्तियों को ईट/पत्थर चिनाईयुक्त गृह उपलब्ध कराने की व्यवस्था,  
 (झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अन्त्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिकवास तक सम्पर्क मार्ग आदि जैसी सुविधाएं।”

4. तदालोक में नियम-15(1) के अनुपालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत गठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-15 (1) में वर्णित प्रावधानों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का निर्धारण करते हुए योजना का निरूपण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति पूर्व से ही संवेदनशील एवं उत्तरदायी है एवं विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम पूर्व से ही चलाए जा रहे हैं तथा उन्हें मात्र समेकित करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण की प्रक्रिया के साथ त्वरित रूप में लागू किया जाना है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा योजना का निरूपण किया जा रहा है, जिसका मूल सार तत्त्व वर्तमान योजनाओं के तहत प्राथमिकता के आधार पर क्षैतिज एवं समानांतर रूप से पीड़ित एवं आश्रितों को चिन्हित एवं कर्णांकित किया जाना है और विहित सुविधा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध करा दी जानी है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी एवं विभाग का निर्धारण भी किया जा रहा है। तदनुसार योजना निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नियम-15 के तहत प्रावधान	योजना	निर्धारित अवधि	उत्तरदायी पदाधिकारी	संबंधित विभाग
1	नियम-15 (1)(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना एवं नियम-15 (1)(च) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर	(i) अपराध की प्रकृति के आलोक में निर्धारित राशि प्रावधानानुसार निर्धारित स्तरों यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं दोषसिद्धी के आलोक में राहत प्रदान करने की योजना। (ii) जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा परिक्रमी निधि (Revolving Fund)।	24 घंटा	जिला पदाधिकारी	अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग
2	नियम-15 (1)(ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन	(i) वास स्थल क्रय सहायता हेतु रू० 60,000/- की सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराये जाने की योजना।	1 माह	जिला पदाधिकारी	अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग

क्र० सं०	नियम-15 के तहत प्रावधान	योजना	निर्धारित अवधि	उत्तरदायी पदाधिकारी	संबंधित विभाग
		(ii) यदि पीड़ित / आश्रित के आवास/ गृह की पूर्ण क्षति होती है तो अनुमंडल पदाधिकारी से किराया निर्धारण कराकर तत्काल उनको किराये के मकान में आवासित करते हुए किराया राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाना।	15 दिन	जिला पदाधिकारी	अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग
3	नियम- 15 (1)(ग) पुनर्वास पैकेज एवं नियम-15 (1)(ज) पीड़ित व्यक्तियों के ईंट/पत्थर से चिनाईयुक्त गृहों के लिए व्यवस्था	पीड़ित परिवार को निम्न राहत अनुदान का भुगतान कराया जाना:- (क) 1,800/- रू० प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए। (ख) 2,000/- रू० प्रति परिवार बरतन /घरेलू सामान की क्षति के लिए। (ग) 95,100/- रू० पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान के निर्माण के लिए। (घ) 5,200/- रू० आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान के मरम्मत के लिए, 3,200/- रू० आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान के मरम्मत के लिए एवं 4,100/-रू० क्षतिग्रस्त/बरबाद झोपड़ी के निर्माण के लिए।	15 दिन	जिला पदाधिकारी	अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग
4	नियम-15 (1)(घ) सरकारी और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम	(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा। (ii) माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठित करने के उपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। (iii) आश्रित की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी से इतर नियुक्ति प्राधिकार अधिसूचित हैं, वैसी परिस्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा सक्षम नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। नियुक्ति में अगर रिक्त आरक्षित बिन्दु पर हो, तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जाएगा।	3 माह	जिला पदाधिकारी	संबंधित विभाग, जिसमें रिक्ति उपलब्ध हो।


क्र० सं०	नियम-15 के तहत प्रावधान	योजना	निर्धारित अवधि	उत्तरदायी पदाधिकारी	संबंधित विभाग
		(iv) सरकारी सेवक, सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से नियुक्त/ नियोजित अथवा सरकार से किसी भी रूप में मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मियों की हत्या की स्थिति में, जहाँ पर आश्रित को अनुकम्पा का लाभ देने का प्रावधान होगा, वहाँ एक आश्रित को उसकी इच्छानुसार अनुकम्पा पर नियुक्ति या इस योजनान्तर्गत नियुक्ति में से किसी एक पद पर नियुक्त होने का अधिकार होगा।			
5	नियम-15 (1)(छ) की पीड़ित सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम	(i) पीड़ितों को चिन्हित कर उनके सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना।	3 माह	मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
		(ii) अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-12(4) की कंडिका-46 (ii) के अनुरूप हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ित के बच्चों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण पोषण किया जाएगा। बच्चों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आवासीय स्कूलों में दाखिला।	1 माह	जिला पदाधिकारी	शिक्षा विभाग / अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
6	नियम-15 (1)(ड) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम	योग्यता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के तहत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अंतर्गत के अनुसार विधवाओं/वृद्धों/ दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन योजना से आच्छादन।	3 माह	जिला पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	समाज कल्याण विभाग
7	नियम-15(1) (झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अन्त्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित	वर्तमान योजनाओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर क्षैतिज एवं समानांतर रूप से पीड़ित/ आश्रितों को चिन्हित एवं कर्णांकित करते हुए निम्नलिखित सुविधाओं से आच्छादित किया जाना :- (i) सात निश्चय की योजनाओं में योग्य पीड़ित/आश्रितों को योग्यता के आधार पर लाभ।	3 माह	जिला पदाधिकारी	संबंधित विभाग

क्र० सं०	नियम-15 के तहत प्रावधान	योजना	निर्धारित अवधि	उत्तरदायी पदाधिकारी	संबंधित विभाग
	जनजाति के प्राकृतिकवास तक सम्पर्क मार्ग आदि जैसी सुविधाएं	(ii) पीड़ितों/आश्रितों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ।	3 माह	सिविल सर्जन	स्वास्थ्य विभाग
		(iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति की व्यवस्था।	3 माह	कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी० एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी,	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग
		(iv) पेय जलापूर्ति की स्थायी सुविधा।	3 माह	कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी० एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी,	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग
		(v) आवश्यक विद्युत आपूर्ति की सुविधा।	3 माह	कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल	ऊर्जा विभाग / बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि०
		(vi) कबीर अन्त्येष्टी योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर पीड़ित को लाभ।	24 घंटा	सहायक निदेशक / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	समाज कल्याण विभाग
		(vii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3 माह	जिला समाहर्ता / कार्यपालक अभियंता	ग्रामीण कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग
		(viii) आवश्यकतानुसार सामग्रियों यथा- चावल, गेहूँ, चीनी, किरासन तेल आदि की आपूर्ति।	3 माह	जिला पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


- संबंधित विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए कर्णांकित बजट निधि से ही उक्त योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। उपरोक्त योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों द्वारा अतिरिक्त बजट उपबंध कराया जाएगा।
- उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में जहाँ कहीं भी राज्य सरकार की किसी अधिसूचना / संकल्प / आदेश / प्रावधान के अधीन किसी बंधेज / शर्तों से कठिनाई हो, वहाँ इस योजना का अभिभावी प्रभाव एवं विनिर्दिष्ट कार्य को इस संकल्प के तहत प्रावधानित प्रक्रिया एवं विहित समय सीमा के अंतर्गत उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के द्वारा पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना निर्गत कर सकेंगे।
8. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग समय-समय पर समीक्षोपरान्त आवश्यकतानुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश जारी करने हेतु सक्षम होगा।
9. संबंधित विभाग एवं जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह के अन्त में उक्त योजना से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. उपरोक्त का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।  
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे०पी०ओ०ए०(आ०यो०)16-05/2019-1825 पटना, दिनांक-19.09.2020  
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे०पी०ओ०ए०(आ०यो०)16-05/2019-1825 पटना, दिनांक-19.09.2020  
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे०पी०ओ०ए०(आ०यो०)16-05/2019-1825 पटना, दिनांक-19.09.2020  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे०पी०ओ०ए०(आ०यो०)16-05/2019-1825 पटना, दिनांक-19.09.2020  
प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3 / निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05 / 2019-1825

पटना, दिनांक-19.09.2020


प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस उप महानिरीक्षक/ मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/ सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3 / निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05 / 2019-1825

पटना, दिनांक-19.09.2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3 / निदे0पी0ओ0ए0(आ0यो0)16-05 / 2019-1825

पटना, दिनांक-19.09.2020

प्रतिलिपि:-सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार/ सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार/ सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/ सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

विषय:- अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम, 15 (1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन एवं लाभ देने हेतु मार्गदर्शिका।

1. नियम-15 (1)(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना एवं नियम-15 (1)(घ) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर

- (i) अपराध की प्रकृति के आलोक में निर्धारित राशि प्रावधानानुसार निर्धारित स्तरों यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं दोषसिद्धि के आलोक में राहत प्रदान करने की योजना।
- (ii) जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा परिक्रमी निधि (Revolving Fund)।

**उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग**

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे एवं संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा।

**कार्यान्वयन:-**

अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार अत्याचार पीड़ित/आश्रित को विभागीय अधिसूचना सं०-3388 दिनांक-09/11/2019 के आलोक में निर्धारित अवधि 24 घंटा के अन्दर राहत अनुदान आधार Seeded बैंक खाता में DBT के माध्यम से दिया जाएगा।

2(i) वास स्थल क्रय हेतु रू० 60,000/- की सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराये जाने की योजना।

**उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग**

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे एवं संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा।

**कार्यान्वयन:-**

अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत अत्याचार के पीड़ित/आश्रित को 1 माह के अन्दर वास स्थल क्रय हेतु राशि आधार Seeded बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा स्थल जाँच की जाएगी। तदुपरान्त पीड़ित/आश्रित से वास भूमि क्रय हेतु द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन एवं वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आवेदन के साथ आधार नंबर एवं आधार Seeded बैंक खाता प्राप्त किया जाएगा। पीड़ित/आश्रित को आवेदन की प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

(ख) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। निर्धारित अवधि में स्वीकृति के उपरांत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) यदि पीड़ित/आश्रित के आवास/गृह की पूर्ण क्षति होती है तो अनुमंडल पदाधिकारी से किराया निर्धारण कराकर तत्काल उनको किराये के मकान में आवासित करते हुए किराया राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाना।

**उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग**

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा।

**कार्यान्वयन:-**

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार पीड़ित/आश्रित को निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी से किराया निर्धारण कराकर किराया का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। तत्पश्चात जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुमान्य मकान किराया की राशि पीड़ित/आश्रित के आधार Seeded बैंक खाता में उपलब्ध कराई जाएगी।

3. नियम- 15 (1)(ग) पुनर्वास पैकेज एवं नियम-15 (1)(ज) पीड़ित व्यक्तियों के ईट/पत्थर से चिनाईयुक्त गृहों के लिए व्यवस्था पीड़ित परिवार को निम्न राहत अनुदान का भुगतान कराया जाना:-

(क) 1,800/- रू० प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए।

(ख) 2,000/- रू० प्रति परिवार बरतन /घरेलू सामान की क्षति के लिए।

(ग) 95,100/- रू० पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान के निर्माण के लिए।

(घ) 5,200/- रू० आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान के मरम्मत के लिए,  
3,200/- रू० आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान के मरम्मत के लिए एवं  
4,100/-रू० क्षतिग्रस्त/बरबाद झोपड़ी के निर्माण के लिए।

**उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग**

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा।

**कार्यान्वयन:-**

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार के पीड़ित/आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्गत पत्र सं०-1973 दिनांक-26.05.2015 एवं समय-समय पर यथासंशोधित संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में निर्धारित अवधि 24 घंटा के अन्दर राशि लाभार्थी के आधार Seeded बैंक खाता में उपलब्ध कराई जाएगी।

4. नियम-15 (1)(घ) सरकारी और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

**कार्यान्वयन:-**

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर मृतक के आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया होगी:-

(i) चयन हेतु पात्रता:-

- (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमानेवाले किसी सदस्य की गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर परिवार के एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) नियुक्ति की कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठित होने के उपरांत की जाएगी।
- (ग) आश्रित के अन्तर्गत पति या पत्नी, पुत्र या पुत्रवधु, अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी सम्मिलित होंगे। दत्तक पुत्र, भतीजा, दामाद आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा।
- (घ) सरकारी सेवक, सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से नियुक्त/ नियोजित अथवा सरकार से किसी भी रूप में मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मियों की हत्या की स्थिति में, जहाँ पर आश्रित को अनुकम्पा का लाभ देने का प्रावधान होगा, वहाँ एक आश्रित को उसकी इच्छानुसार अनुकम्पा पर नियुक्ति या इस योजनान्तर्गत नियुक्ति में से किसी एक पद पर नियुक्त होने का अधिकार होगा।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार-

आश्रित की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी से इतर नियुक्ति प्राधिकार अधिसूचित हैं, वैसी परिस्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा सक्षम नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो, तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जाएगा।

(iii) नियुक्ति हेतु अर्हता-

चिन्हित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ही इस नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता मानी जाएगी।

(iv) आयु-सीमा-

नियुक्ति हेतु आश्रित की आयु सीमा समय-समय पर चिन्हित पदों के लिए विनिश्चित आयु सीमा रहेगी। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत किया जा सकेगा, बशर्ते कि आवेदन समय-सीमा के अंतर्गत दिया गया हो।

(v) नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य की हत्या होने पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय-सीमा मृत्यु की तिथि से पाँच वर्ष तक रहेगी। मृतक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।

(vi) नियुक्ति हेतु स्व-घोषित/स्व-प्रमाणित पत्र-

- (क) आवेदक के अलावा परिवार के अन्य दावेदारों द्वारा आवेदक के नियुक्ति हेतु स्व-घोषित/स्व-प्रमाणित पत्र के माध्यम से अनापत्ति समर्पित की जाएगी।
- (ख) आवेदक द्वारा अन्य आश्रितों के भरण-पोषण एवं देखभाल करने के संबंध में स्व-घोषित/स्व-प्रमाणित पत्र दिया जाएगा।

(ग) निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि इस संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ-पत्र नहीं दिया गया हो-

(a) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराध के अपराधी के रूप में न्यूनतम छह माह के कारावास का दण्ड हुआ है।

(b) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छह माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय।

(vii) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता परिपत्र में नियुक्तियों पर जो रोक लगाई जाती है, वह इस नियुक्ति के मामले में लागू नहीं समझी जायेगी।

(viii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र, स्व-घोषित/स्व-प्रमाणित पत्र एवं प्रपत्रों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किए जा सकेंगे।

5(i) पीड़ितों को चिन्हित कर उनके सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन होंगे तथा संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार के पीड़ित/आश्रित को कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्रवाई हेतु सूचना संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आलोक में निर्धारित अवधि 6 माह के अन्दर बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ii) अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-12(4) की कंडिका-46 (ii) के अनुरूप हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ित के बच्चों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण पोषण किया जाएगा। बच्चों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिला।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग अनु०जाति और अनु० जनजाति कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अत्याचार के पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आश्रित/पीड़ित को स्नातक स्तर तक शिक्षा हेतु कार्रवाई निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर व्यवस्था की जाएगी।

6. नियम-15 (1)(ड) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होंगे तथा एवं संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार के पीड़ित/आश्रित के किसी भी आय एवं आयु वर्ग के आश्रित/पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथासंशोधित नियम) के लिए निर्धारित पेंशन की राशि के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जानेवाली पेंशन की राशि हेतु निर्धारित अवधि (समय-समय पर यथासंशोधित) के अन्दर स्वीकृत करते हुए आधार Seeded बैंक खाता में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

इस योजना के स्वीकृति की प्रक्रिया एवं प्राधिकार संबंधित योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप होंगे।

7. नियम-15(1) (झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अन्त्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग आदि जैसी सुविधाएँ

वर्तमान योजनाओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय एवं समानांतर रूप से पीड़ित/आश्रितों को चिन्हित एवं कर्णांकित करते हुए निम्नलिखित सुविधाओं से आच्छादित किया जाना :-

- (i) सात निश्चय की योजनाओं में योग्य पीड़ित/आश्रितों को योग्यता के आधार पर लाभ।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे एवं सात निश्चय के तहत चिन्हित योजनाएँ यथा- आर्थिक हल, युवाओं को बल, इत्यादि योजना को लागू करने के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में निर्धारित अहर्तायें एवं शर्तों के आलोक में संबंधित विभाग द्वारा लाभ दिया जाएगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) समर्पित होने के उपरान्त अधिकतम 25 वर्ष के आयु वर्ग के पीड़ित/आश्रित को सात निश्चय की निश्चय-1 के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर आवेदन प्राप्त कर लाभ दिया जाएगा।

- (ii) पीड़ितों/आश्रितों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा अनुश्रवण का दायित्व जिला पदाधिकारी का होगा। संबंधित विभाग स्वास्थ्य विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार के पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आश्रित/पीड़ित को प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि 3 माह तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ देगे।

(iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति की व्यवस्था एवं (iv) पेय जलापूर्ति की स्थायी सुविधा।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता पी0एच0ई0डी0 एवं नगर कार्यपालक अभियंता होंगे तथा अनुश्रवण का दायित्व जिला पदाधिकारी का होगा। संबंधित विभाग लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार प्रभावित क्षेत्रों में उत्तरदायी पदाधिकारी भ्रमण कर जलापूर्ति की स्थायी एवं आकस्मिक व्यवस्था की समीक्षा कर प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर पेय जलापूर्ति की स्थायी सुविधाएँ देगे।

(v) आवश्यक विद्युत आपूर्ति की सुविधा।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल होंगे। संबंधित विभाग ऊर्जा विभाग तथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार प्रभावित क्षेत्रों में उत्तरदायी पदाधिकारी भ्रमण कर आपूर्ति की आवश्यकता की समीक्षा कर प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर आवश्यक विद्युत आपूर्ति की स्थायी सुविधा दी जाएगी।

(vi) कबीर अन्त्येष्टी अनुदान योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर पीड़ित को लाभ।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के सहायक निदेशक, समाज कल्याण एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार के पीड़ित परिवार को समाज कल्याण विभाग की कबीर अन्त्येष्टी अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तरदायी पदाधिकारी के द्वारा स्थल भ्रमण कर प्रावधान के अनुसार त्वरित अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा संबंधित विभाग ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायतीराज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त अत्याचार प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के लिए प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित 3 माह की अवधि में कार्य कराया जाएगा।


(viii) आवश्यकतानुसार सामग्रियों यथा— चावल, गेहूँ, चीनी, किरासन तेल आदि की आपूर्ति।  
उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग

इस योजना के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग होगा।

कार्यान्वयन:-

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के उपरान्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अत्याचार के पीड़ित/आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्गत पत्र सं०-1973 दिनांक-26.05.2015 एवं समय-समय पर यथासंशोधित संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में निर्धारित अवधि 3 माह तक आवश्यकतानुसार सामग्रियों यथा— चावल, गेहूँ, चीनी, किरासन तेल आदि की आपूर्ति की जाएगी।

उपरोक्त सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए कर्णांकित बजट की निधि से ही योजना कार्यान्वित की जाएगी।

  
19.9.20